

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/

जयपुर, दिनांक 15-2-


3462-3558

आदेश

अभाव सम्वत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के लिए पड़ौसी राज्यों अथवा राज्य के अन्य जिलों से रेलवे द्वारा निःशुल्क चारा परिवहन कर लाया जाना है। उक्त चारा, चारा डिपो पर अनुदानित दरों पर विक्रय किया जावेगा।


अतः अन्य राज्यों से अथवा राजस्थान के अन्य जिलों से रेलवे के माध्यम से प्राप्त चारे को गन्तव्य रेलवे स्टेशन से वितरण बिन्दु केन्द्र (चारा डिपो) तक परिवहन करने एवं अन्य आकस्मिक व्यय जिले को चारा परिवहन अनुदान मद में आवंटित राशि में से वहन किया जावेगा।

भवदीय,


15/2/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलेक्टर (अभावग्रस्त 27 जिले) राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन सचिव